

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 15/2018

1.चेतनदास उर्फ मिर्चूमल

2.दौलतराम

3.किशनचन्द्र

4.रामचन्द्र

5.पुरुषोत्तम

पि० स्व० नन्दुमल जाति सिन्धी निवासी श्रीगंगानगर जरिये

मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी नि०

हनुमानगढ राज०।

6.श्रीमति चन्द्रादेवी पत्नी श्री जयकिशन जाति सिन्धी निवासी बालोतरा हाल निवासी चौपासनी रोड़ जोधपुर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ जं०।
वादीगण

बनाम्

पतराम पुत्र मदन गिर जाति गुसाई निवासी मल्लडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकन० 9 एमकेएस के खातासं० 34/33 के प०न० 186/230 मु० 20 किलान० 18.23. कुल 0.506 है० भूमि का प्रतिवादी पतराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकन० 9 एमकेएस के खाता सं० 34/33 में से नन्दूमल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस शर्त के साथ वाद स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी के नाम होने वाली कृषि भूमि का डीएलसी दर से पंजीयन शुल्क जमा करवाया जावे तो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुक्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 09.01.2020 को जारी किया गया।



(सहीबू कर्माकेटर
सहायक कलक्टर एवं
टिब्बी
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी